न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :-170/2008/भीलवाड़ा (2008/00001)

1. देउ पुत्री बगता पत्नि कालू, जाति बलाई, निवासी सूरजपुरा हाल बालेसरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र गोपी,
2. रमेश पुत्र गोपी,
3. शिवलाल पुत्र गोपी,
4. नोसर पुत्री गोपी,
   समस्त जाति बलाई, निवासी सूरजपुरा, तह0 बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 22.9.2008 अपील संख्या 91/2008.

उपस्थितः-

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पोडेंटस अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः-08.3.2018

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.9.2008 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्थान भूराजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार, बनेड़ा द्वारा संस्थित नामांतकरण संख्या 192 दिनांक 14.10. 1987 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सूरजपुरा तहसील बनेड़ा में नामांतकरण संख्या 192 बिना कोई जांच किये पारित किया गया है । अपीलांट के परिवार में मुख्य पुरूष सुण्डा बलाई थे, जिनके दो लड़के भूरा व बगता हुए जिनमें से भूरा के दो लड़के नानू व

गोपी तथा बगता के एक लड़की अपीलांट है । नानू लाऔलाद फौत हो गया तथा गोपी के तीन पुत्र एवं एक पुत्री रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 है। अपीलांट के पिता बगता बलाई एवं नानू, गोपी पिता भूरा के नाम की सरहद सूरजपुरा, तह0 बनेड़ा में खसरा नंबर 302, 362, 438, 441, 442, 457, 458, 658, 629 कुल किता 9 कुल रकबा 10.04 बीघा भूमि स्थित है जिसमें अपीलांट के पिता बगता बलाई का 1/2 हिस्सा निहित है । इसी प्रकार खसरा नंबर 300 रकबा 0.03 बीघा गै0मु0 चाह व खसरा नंबर 463 रकबा 0.02 गै0मु0 खड्डा में अपीलांट के पिता बगता का 1/6 हिस्सा निहित है । नानू व गोपी पिता भूरा का 1/6 हिस्सा निहित है । अपीलांट के पिता बगता का देहांत होने के उपरांत उक्त वर्णित आराजियात से बगता के हक हिस्से पर अपीलांट काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है । दिनांक 10.3.2008 को प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 मौके पर आये व अपीलांट को वादग्रस्त आराजियात से जबरन बेदखल करने का प्रयास किया तथा कहा कि विवादित आराजियात प्रत्यर्थीगण के नाम पर दर्ज है । इस पर राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तो अपीलांट को जानकारी हुई कि प्रत्यर्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपीलांट के पिता बगता को लाऔलाद फौत बता कर अपने नाम अंकित करा दिये है जबकि अपीलांट बगता की जायंदा पुत्री होकर बगता के हक हिस्से की भूमि पर काबिज है । अतः तहसीलदार बनेड़ा द्वारा संस्थित नामांतकरण संख्या 192 दिनांक 14.10.1987 को अपास्त किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 22.9.2008 द्वारा अपीलांट की अपील को अपास्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने तथा रेस्पो0 के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत सूरजपुरा ने नामांतकरण संख्या 192 दिनांक 14.10.1987 पारित करते समय बगता के वारिसान बाबत् कोई जांच नहीं की तथा बगता को अपने आदेश में लाऔलाद फौत होना अंकित कर नानू व गोपी के पक्ष में उसकी खातेदारी व हिस्से की आराजी का नामांतकरण संख्या 192 स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है जबकि अपीलांट बगता की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है जिसे रेस्पो0 ने स्वीकार भी किया है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट की अपील अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण/आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में मियाद का बिन्दु आड़े नही आता है किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को समझे बिना अपीलांट को अपील को मियाद बाहर मानने में भी त्रुटि कारित की है । तथाकथित नामांतकरण संख्या 192 अपीलांट, जो कि मृतक बगता की पुत्री

है, को बिना सुने एवं बिना नोटिस दिये पारित किया गया है इसलिये अपीलांट को नामांतकरण की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । अपीलांट को तथाकथित नामांतकरण की सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब प्रत्यर्थीगण दिनांक 10.3.2008 को विवादित आराजियात पर आये तथा जबरन अपीलांट को बेदखल करने का प्रयास किया एवं कहा कि विवादित आराजियात प्रत्यर्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । इसके पश्चात् अपीलांट ने तथाकथित नामांतकरण की जानकारी प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद अधी0न्याया0 के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की थी । अपीलांट द्वारा जानकारी के संबंध में बताये गये तथ्य सही होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने तथ्यों को नहीं मानने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट मृतक बगता की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान है जिसे तकनीकी आधार पर उसके हक अधिकारों से महरूम नहीं किया जा सकता है । रेस्पो0 ने भी अपीलांट को बगता की पुत्री होने से इंकार नहीं किया है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअदांज कर मात्र तकनीकी आधार पर अपीलांट की अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 22.9.2008 एवं नामांतकरण संख्या 192 दिनांक 14.10.1987 को अपास्त किया जावे। xx

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा नामांतकरण संख्या 192 दिनांक 14.10.1987 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील को 22 वर्ष मियाद बाहर मानकर खारिज की है । अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजियात के मूल खातेदार सुण्डा बलाई थे । सुण्डा बलाई के दो पुत्र भूरा बलाई एवं बगतावर बलाई थे । भूरा के दो पुत्र नानू (नाऔलाद फौत) तथा गोपी हुए । रेस्पो0 संख्या 1 से 4 गोपी के पुत्र है तथा अपीलांट बगतावर पुत्र सुण्डा की पुत्री होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 के अनुसार बगतावर की प्रथम श्रेणी की वारिस है । विवादित आराजियात में सुण्डा के पुत्रो भूरा एवं बगतावर का बराबर हक व हिस्सा था किन्तु नामांतकरण संख्या 192 दिनांक 14.10. 1987 स्वीकृत करते समय ग्राम पंचायत ने मृतक बगतावर को नाऔलाद फौत होना मानकर मृतक बगतावर के हिस्से की आराजियात का नामांतकरण गोपी पुत्र भूरा के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये है। प्रकरण में तथाकथित नामांतकरण के अवलोकन से यह कहीं स्पष्ट नहीं होता है कि ग्राम पंचायत ने नामांतकरण स्वीकृत करने से पूर्व मृतक बगतावर के विधिक वारिसान के संबंध में कोई जांच की है एवं उसकी वारिसान पुत्री देउ/अपीलांट को कोई नोटिस दिया जाकर सुना गया हो । ग्राम पंचायत ने मात्र बगतावर को नाऔलाद फौत होना मानकर तथाकथित

नामांतकरण स्वीकृत किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलांट की अपील मात्र इस आधार पर खारिज की है कि अपीलांट ने तथाकथित नामांतकरण के विरूद्ध 22 वर्ष की भारी मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है तथा विलंब के संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये है । इस संबंध में न्यायालय हाजा का मत है कि जहां पक्षकार के हक व अधिकार निहित हो वहां तकनीकी आधार पर उसे उसके हक-अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है । रेस्पोडेंटस ने भी अपीलांट को मृतक बगतावर की पुत्री होने से इंकार नहीं किया है तथा ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश किया है । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के अनुसार पुत्रियों का भी मृतक खातेदार पिता की आराजी में बराबर हक व अधिकार है किन्तु ग्राम पंचायत ने नामांतकरण तस्दीक करते समय मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच किये बिना तथाकथित नामांतकरण स्वीकृत किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अपीलांट मृतक खातेदार बगताराम की पुत्री होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान है जिसे मात्र तकनीकी आधार पर उसके हक व अधिकारों से महरूम नहीं किया जा सकता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसे प्रकरण जहां विधिक तथ्य निहित हो वहां नामांतकरण जैसे मामलों को तकनीकी बिन्दुओं के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 22.9.2008 एवं नामांतकरण संख्या 192 दिनांक 14.10.1987 अपास्त योग्य होकर प्रकरण तहसीलदार, बनेड़ा को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 170/2008 (2008/00001) बउनवानी देउ बनाम शंकरलाल को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अधी0न्याया0 का प्रकरण संख्या 91/2011 बउनवान देउ बनाम शंकरलाल में पारित निर्णय दिनांक 22.9.2008 एवं ग्राम पंचायत, बनेड़ा द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 192 दिनांक 14.10.1987 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, बनेड़ा को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि मृतक बगतावर के विधिक वारिसान की जांच कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 08.3.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर
अजमेर